





राजस्थान,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
वर्तमान प्रदेश संयोजन।

प्रधानमंत्री शिक्षा सं. ३५५०

क्र.सं. - अतिरिक्त/परीक्षा संख्या/२०२०/१५५५

कार्यालय प्रारंभ

प्रधानमंत्री शिक्षा सं. ३५५० के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गयी है। इसमें वर्णित विषयों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक विवरणों को अधिकांश राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजा जा रहा है। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक विवरणों को अधिकांश राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजा जा रहा है। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक विवरणों को अधिकांश राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजा जा रहा है।

इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गयी है। इसमें वर्णित विषयों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक विवरणों को अधिकांश राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजा जा रहा है।

लिखी श्रेय में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थानों जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं। एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएससीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थानों में पीएससीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम को सम्बद्ध अखिल भारतीय/प्रदेश स्तर के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्ध विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएससीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अन्तर्गत सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्ध विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिए गए क्र.सं.-२०२० का अन्तर्गत संख्या समिति की बैठक में विचार गये अन्तर्गत निर्णय को अन्तर्गत के लिए आवश्यक प्राथमिक शिक्षा परिषद से प्रारंभिक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान किये गये हैं -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएससीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार	सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है
1	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश	प्रधानमंत्री शिक्षा सं. 3550	अनुमोदन	अनुमोदन

संख्या सं. ३५५० के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गयी है। इसमें वर्णित विषयों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक विवरणों को अधिकांश राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजा जा रहा है।

- ✓ इसमें वर्णित विषयों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक विवरणों को अधिकांश राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजा जा रहा है।
- ✓ इसमें वर्णित विषयों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक विवरणों को अधिकांश राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजा जा रहा है।





कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश तखानऊ

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

तखानऊ दिनांक 08/08/2021

कार्यालय ज्ञाप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मैसी काउन्सिल-आई0 एवं यूएनिए- नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखानऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सफल हुई। बैठक में सभिषो द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं की सम्बद्धता एवं संस्थाओं की संख्याओं का सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विचार/करतें हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिया गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखानऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4070-VIJAY PHARMACY COLLEGE, GULALPUR, JAUNPUR

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा नियोजित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ भारत उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद इक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सप्टेंबर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निषेध समिति द्वारा निर्दिष्ट शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क को प्रयोज्य छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-संवाद पर शरारत द्वारा निर्मित किये जाने वाले बासनादेश पभाव्य होंगे, और उदरुसात कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा एवं निषेध समिति द्वारा फटे सत्र 2021-22 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीस को स्वीकार्य करें जाना होगा।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा सच समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध किये जाने) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायगा। सीटों के वित्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समप्रस्ताव पर निर्मित शासनादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता शुल्क अन्य करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्पित नई विनियमवली/अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों



अटिशी, निदेशों का पालन करने के निषेधाज्ञा होगी।

- ✓ दिल्ली में इन फार्मों पर पाठ्यक्रम की संख्या प्रति पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अग्रसर रहती है तो इस संदर्भ में समस्त उत्तरप्रदेश राज्य का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कदम उठाकर लिया जाता है तथा ध्यान बात के संबंध में भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संबंधित प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्ली में इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कम्प्यूटराइज्ड प्रारण होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश ही (जाउनिस्मिग के माध्यम से अपवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम आवश्यक विषयों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर सत्या की सम्बन्ध सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साधन-सम्पत्त, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रशिक्षण हेतु उच्चग्रेजुएट मातृकरण उपकरणों के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित ही है कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, कर्नोचर, उपकरण इत्यादि का प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था ने भूमि भवन, उपयोगिता, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्त ए/आई/पीसीआई/पीसीआई/आई/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों को अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचना कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पृष्ठ सं- प्राविधिक परिषद सजाददवा/2021/3533-4809

प्रतिवेदि-

अध्यानाचार्य/निदेशक, VJAY PHARMACY COLLEGE, GULAI PUR, JAUNPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव